

बिना मुहर लगे अनुबंधों में मध्यस्थता समझौते मान्य

प्रलिस के लिये:

मध्यस्थता समझौते, उपचारात्मक याचिका, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, अनुच्छेद 51, माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, अनुच्छेद 51, माध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019

मेन्स के लिये:

न्यायपालिका के कार्य की दक्षता पर मध्यस्थता का प्रभाव ।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) की सात-न्यायाधीशों की [संविधान पीठ](#) ने माना कि बिना मुहर लगे या अपर्याप्त मुहर लगे मूल वाणज्यिक अनुबंधों या उपकरणों में अंतरनिहित [मध्यस्थता समझौते](#) अमान्य, अप्रवर्तनीय या अस्तित्वहीन नहीं हैं ।

- मध्यस्थता का उद्देश्य पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का त्वरित, कुशल और बाध्यकारी समाधान प्रदान करना है ।

सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय की मुख्य बातें क्या हैं?

- एन.एन. ग्लोबल मामले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के पूर्व पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के नरिणय को खारज़ि कर एक [उपचारात्मक याचिका](#) में मुख्य राय देते हुए, [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) ने कहा कि "मुद्रांकन न होना या अपर्याप्त मुद्रांकन एक उपचारात्मक दोष है" ।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत अनुबंधों का भुगतान नहीं करने या अपर्याप्त स्टाम्पिंग से [मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996](#) के तहत [मध्यस्थता कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी](#) ।
- मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-नहित संहिता है। मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित मामले जैसे [मध्यस्थता समझौता](#), [मध्यस्थता की न्युक्ति](#) और अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिये [मध्यस्थ न्यायाधिकरण](#) की क्षमता का मूल्यांकन कानून के तहत नरिदष्टि तरीके से किया जाना चाहिये ।
 - इसलिये अन्य कानूनों के प्रावधान [मध्यस्थता अधिनियम](#) के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।
- इस नरिणय से वाणज्यिक विवादों को तेज़ी से नपिटाने के लिये [अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र](#) के रूप में विकसित होने की भारत की महत्त्वाकांक्षा को काफी बढ़ावा मिला है ।
 - इससे पूर्व पार्टियों द्वारा अनुबंधों के लिये अनविर्य [स्टांप शुल्क](#) का [भुगतान न करने](#) अथवा [अपर्याप्त स्टाम्प](#) के कारण ऐसे विवादों पर मध्यस्थता में [बाधा](#) उत्पन्न हुई थी ।

भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र क्या है?

- **माध्यस्थता:**
 - इस प्रक्रिया में विवाद एक [माध्यस्थता अधिकरण](#) को प्रस्तुत किया जाता है जो विवाद पर एक नरिणय (पंचाट) सुनाता है जो पार्टियों पर बाध्यकारी होता है ।
 - यह [मुकदमे](#) की तुलना में कम औपचारिक होता है तथा [साक्ष्य के नियमों](#) में कठोरता नहीं अपनाई जाती ।
 - अमूमन [माध्यस्थता के नरिणय](#) के वरिद्ध [अपील करने का कोई अधिकार नहीं](#) होता है ।
 - कुछ अंतरिम उपायों के अतिरिक्त माध्यस्थता प्रक्रिया में [न्यायिक हस्तक्षेप](#) की गुंजाइश बहुत कम है ।
 - भारतीय माध्यस्थता, माध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (जिस वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधित किया गया है) द्वारा शासित एवं वनियमति है ।
 - [माध्यस्थता और सुलह \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#) द्वारा भारतीय माध्यस्थता परिषद (ACI) नामक एक स्वतंत्र नकिया

स्थापित किया गया।

■ **सुलह:**

- यह एक **गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया** है जिसमें एक **नधिपक्ष तीसरा पक्ष** अर्थात **सुलहकर्त्ता**, विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुँचने में विवाद के पक्षों की सहायता करता है।
- सुलह, **माध्यस्थम्** का एक **अल्प औपचारिक** रूप है।
- इसमें पक्ष सुलहकर्त्ता की अनुशंसाओं को **स्वीकार अथवा अस्वीकार** करने के लिये स्वतंत्र होते हैं।
- हालाँकि यदि दोनों पक्ष सुलहकर्त्ता द्वारा तैयार किये गए समझौता दस्तावेज़ को स्वीकार करते हैं, तो यह अंतिम एवं दोनों पर बाध्यकारी होगा।

■ **मध्यस्थता:**

- मध्यस्थता में, **“मध्यस्थ”** नामक एक नधिपक्ष व्यक्ति पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने में मदद करता है।
- **मध्यस्थ विवाद का कोई समाधान प्रदान नहीं करता है** बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें विवादित पक्ष अपने सभी विवादों को हल कर सकते हैं।
 - कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय (SC) की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (Mediation and Conciliation Project Committee) द्वारा निर्धारित आवश्यक 40 घंटे के प्रशिक्षण से गुज़रता है, मध्यस्थ हो सकता है।
 - उसे एक योग्य मध्यस्थ के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम-से-कम दस मध्यस्थताओं, जिनके परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ हो तथा समग्र तौर पर कम-से-कम 20 मध्यस्थताओं के रूप में हिससा लेने की आवश्यकता होती है।
- मध्यस्थता परिणाम का नियंत्रण पार्टियों पर छोड़ देती है।
- **मध्यस्थता अधिनियम, 2023** मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता, को बढ़ावा देने और मध्यस्थता के माध्यम से नपिटान समझौतों को लागू करने के लिये एक तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है।

■ **समझौता:**

- एक **गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया** जिसमें विवाद का बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने के उद्देश्य से किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना पक्षों के बीच चर्चा शुरू की जाती है।
- यह **वैकल्पिक विवाद समाधान** का सबसे आम तरीका है।
- व्यापार, गैर-लाभकारी संगठनों, सरकारी शाखाओं, कानूनी कार्यवाही, राष्ट्रों के बीच और विवाह, तलाक, पालन-पोषण और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसी व्यक्तिगत स्थितियों में बातचीत होती है।

भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI) क्या है?

■ **संवैधानिक पृष्ठभूमि:** भारत का संविधान, **अनुच्छेद 51**, भारत यह प्रयास करने के लिये बाध्य है:

- एक देश के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा नपिटाने को प्रोत्साहित करना। ACI इस संवैधानिक दायित्व को साकार करने की दशा में एक कदम है।

■ **उद्देश्य:**

- **ACI** का उद्देश्य **मध्यस्थता, सुलह और अन्य वैकल्पिक विवाद नविवरण** तंत्र को बढ़ावा देना है।

■ **ACI की संरचना:**

- ACI में एक अध्यक्ष शामिल होगा जो या तो होगा:
 - **सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश/उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश/उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।**
 - **मध्यस्थता के संचालन में विशेषज्ञ ज्ञान वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।**
 - **अन्य सदस्यों में एक प्रतिष्ठित मध्यस्थता व्यवसायी, मध्यस्थता में अनुभव वाला एक शिक्षाविद् और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।**

और पढ़ें: <https://www.drishtijudiciary.com/hin/current-affairs/position-of-unstamped-arbitration-agreement>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न 1. लोक अदालतों के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा एक सही है? (2010)

- (a) लोक अदालतों की अधिकारिता को मुकदमे दायर करने से पहले के मामलों का नपिटारा करने की और उन मामलों का नहीं जो, कसिी न्यायालय में लंबति हों
- (b) लोक अदालतें ऐसे मामलों का नपिटारा कर सकती हैं जो सविलि, न क आपराधिक, प्रकृत के हैं
- (c) प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानवित्त न्यायकि अधिकारी ही नयिकृत हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं
- (d) उपरयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है

उत्तर: D

प्रश्न 2. लोक अदालतों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2009)

1. लोक अदालत द्वारा किया गया अधनिरिणय सविलि न्यायालय का आदेश (डकिरी) मान लिया जाता है और इसके वरिद्ध कसिी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती ।
2. वविाह-संबंधी/पारविरकि वविाद लोक अदालत में सम्मलति नहीं होते हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : A

??????:

प्रश्न1. राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रख्यापति अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधनियिम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? इससे भारत के वविाद समाधान यांत्रिकित्व को कसि सीमा तक सुधारेगा कतिना सुधार होगा? चर्चा कीजयि । (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/arbitration-agreements-in-unstamped-contracts-valid>

